कार्यालयः मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक 362 / उधान / नि0सू0 / 2023–24

दिनांक 18/07/2023

निविदा सूचना

उपाध्यक्ष एम0डी0डी0ए0,देहरादून द्वारा उधान से सम्बन्धित अवस्थापना समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में दक्ष अनुभवी फर्मो से 02 कार्य हेतु ऑन लाईन ई निविदा के माध्यम से टू बिड सिस्टम के अन्तर्गत निविदा दिनांक 8/8/2023 को अपरान्ह 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्य की पहले तकनीकी बिड जो उसी दिन अपरान्ह 03 बजे गठित समिति द्वारा उपस्थित निविदा दाताओं /प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी तथा तकनीकी बिड में सफल निविदा दाताओं की वित्त बिड बाद में खोली जायेगी, जिसकी सूचना तकनीकी रूप से सफल निविदा दाताओं को भेजी जायेगी । आगणन में अंकित बिशिटियों की मात्रा पूर्णत अनुमानित है इसमें परिवर्तन (घटत/बढत) सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य की माप /आगणन के आधार पर किया जायेगा।

इच्छुक फर्म द्वारा नीचे वर्णित कार्य हेतु धरोहर राशि उधान अधिकारी के नाम बन्धक हो एवं निविदा का शुल्क मय जी0एस0टी0 सहित की धनराशि का पे आर्डर जो सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पक्ष में हो को निविदा खोलने से पूर्व प्राधिकरण के उधान अनुभाग में अनिवार्य रूप से 02 बजे तक जमा करनी होगी । अन्य शर्ते जी0पी0ठब्लू0–9 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेंन्स सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी सशोधित शासनादेश संख्या 1197/11(2)/0.7–75 (सामान्य)/11 दिनांक 24–2–2014 एवं अन्य के अनुसार होंगी। कार्य का विवरण निम्नवत है:–

क0 सं	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखमें)मय GST सहित	निविदा शुल्क	धरोहर राशि रू0	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैधता
1	अजबपुर रोड ओवर ब्रिज से आई0एस0बी0टी0 तक एन0एच0आई0 के रोड के मध्य बने नवनिर्मित रोड मिडियन पर सौन्दर्यीकरण के तहत लैण्ड स्केपिंग /आरबोरीकल्चर का कार्य ।	228.07	5900.00	457000.00	03 माह	90 दिन
2	ऋषिकेश स्थित हरिद्वार रोड मण्डी परिषद कार्यालय से श्यामपुर फाटक /नेपाली फार्म तक एन0एच0आई0 द्वारा निर्मित रोड मिडियन पर सौन्दर्यीकरण के तहत लैण्डस्केपिंग /आरबोरीकल्चर का कार्य ।	324.00	5900.00	648000.00	04 माह	90 दिन

कमाक:–1व 2 की शर्त निम्न है:–

(1)–फर्म के पास उधानीकरण/ सौन्दर्यीकरण (लैण्ड स्केप)/हार्टीकल्चर के कार्य का किसी भी सरकारी संस्थानों/भारत सरकार/राज्य/निगमो/प्राधिकरणों का वित्तीय वर्ष 2023–24 से पूर्व पिछले 03 वित्तीय

वर्ष (2020–21, 2021–22, 2022–23), में निविदा लागत के 80 प्रतिशत की धनराशि (जी0एस0टी0) का कम से कम एक कार्य का अनुबन्ध अथवा निविदा लागत के 50–50 प्रतिशत धनराशि, के दो कार्य अनुबन्ध अथवा 40–40 प्रतिशत से अधिक धनराशि के तीन कार्य अनुबन्धों का सफलातापूर्वक निष्पादित किया हो का Work Done Completion Certificate प्रस्तुत करना होगा।

2– फर्म के पास लैण्डस्केप कार्य के तहत लैण्डस्केपिंग/रैलिगं/फेसिंग का कार्य किया हो, जिसका अनुभव अनिवार्य रूप से Work Done Completion Certificate धनराशि का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करना होगा।

3– जी0एस0टी0 पंजीकरण की प्रति प्रस्तुत करना होगा।

4– पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत करना होगा।

5– धरोहर धनराशि हेतु निर्धारित धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र, एफ0डी0आर0 जो कि उद्यान अधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पक्ष में कम से कम 90 दिनों हेतु बन्धक हो प्रस्तुत करना होगा।

6– ठेकेदार/फर्म द्वारा ब्लैक लिस्टेड न होने का प्रमाण पत्र के साथ–साथ अपलोड/जमा किये जा रहे दस्तावेजों का सत्यापन सम्बन्धि शपथ पत्र रू0.100.0. के स्टाम्प पेपर पर देना होगा।

7– निविदादाताओं द्वारा निविदा मूल्य रू0.5900.00 का डिमाड ड्राफ्ट (डी0डी0 उद्यान अधिकारी) मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पक्ष में तथा धरोहर राशि रू0............................ की एफ0डी0आर0 की हार्डकॉपी निविदा खोले जाने से पूर्व दिनांक–..8/8/2023. के अपरान्ह 2:00 बजे तक ही उद्यान अनुभाग में रखे सील बन्द निविदा बॉक्स में अनिवार्य रूप से डाली जायेगी, जिन निविदादाताओं द्वारा निविदा मूल्य व धरोहर राशि की की हार्डकॉपी निविदा बॉक्स में डाली जायेगी, उन्ही निविदादाताओं की तकनीकी निविदा खोली जायेगी। निविदादाताओं द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर राशि की हार्डकॉपी सील बन्द निविदा बॉक्स में प्राप्त न होने पर ई–टेण्डर वेबसाईट WWW.uktenders.gov.in पर अपलोड निविदादाताओं की निविदा निरस्त समझी जायेगी।

8– निविदादाता को District Magistrate द्वारा निर्गत Character Certificate प्रस्तुत करना होगा।

9– निविदादाता को पिछले उपरोक्तानुसार तीन वित्तीय वर्षों में जमा आई0टी0आर0 की प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।

10–निविदादाता को District Magistrate द्वारा निर्गत निविदा लागत का 25 प्रतिशत का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11– निविदा की वैधता 90 दिनों (03 माह) तक मान्य हेतु फर्म को रू0–100.00 के स्टाम्प प्रपत्र पर देना होगा।

12– निविदादाता को निविदा लागत के पिछले 03 वित्तीय वर्षों में निविदा लागत का 100 प्रतिशत टर्नओवर किया हो तथा टर्नओवर इत्यादि पर यू0डी0आई0एन0 अंकित होना अनिवार्य है। टर्नओवर इत्यादि पर यू0डी0आई0एन0 अकितं न होने पर निविदा निरस्त समझी जायेगी।

13– न्यूनतम वित्तीय निविदादाता द्वारा कार्य अनुबन्ध हेतु 100–100 का स्टाम्प प्रपत्र तथा परफोरमेंस गारान्टी/ अतिरिक्त परफोरमेन्स गारान्टी एफ0डी0आर0 के रूप में शासनादेश संख्या 6447 दिनांक 02.01. 2013 के तहत देय होगी।

14– निविदादाता को निविदा मूल्य की डी0डी0 व धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 सील बन्द लिफाफे में बन्द कर जमा करना अनिवार्य है। लिफाफे के बाहर कार्य का नाम, कार्य उपरोक्त चीजें स्पष्ट अंकित न हो तो निविदा निरस्त समझी जायेगी।

15–फर्म के रनिंग बिल/अन्तिम बिल से नियमानुसार आयकर, जी0एस0टी0 लैबर सेस जमानत धनराशि की कटौती की जायेगी।

16– कार्यादेश निर्गत होने के उपरान्त कार्य का निर्धारित अवधि में मानकों एंव विशिष्टियों के अनुसार पूर्ण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में जमा धरोहर राशि जब्त करते हुये काली सूची में दर्ज किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

17– प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्य हेतु समस्त भुगतान मूल्यांकन एंव सत्यापन उपरान्त ही किया जायेगा। स्थल पर जितना कार्य सम्भ/आवश्यक होगा उतना ही कार्य कराया जायेगा।

18– उपरोक्त समस्त निविदाओं को स्वीकृत/निरस्त करने का सर्वाधिकार बिना कारण बताए उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को निहित है।

19– समस्त निर्धारित/ उल्लेखित शर्तो का पालन न करने की दशा में तथा किसी सूचना को छुपाये जाने की दशा में किसी भी समय निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

20– प्रत्येक निविदादाता को एक कार्य के लिये एक ही निविदा डालने का अधिकार होगा।

21– निविदादाता को निविदा से कम संबन्धित समस्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर तकनीकी निविदा के साथ अपलोड किये जाने अनिवार्य है।

उधान अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून

प्रतिलपि :–

1–उपाध्यक्ष म0दे0वि0प्राधि0 देहरादून ।
2–सचिव, म0दे0वि0प्रा0देहरादून।
3–मुख्य लेखाधिकारी,म0दे0वि0प्रा0,देहरादून।
4–नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/सिंचाई विभाग/आयुक्त /सी0डी0ओ0 के नोटिस बोर्डो पर चस्पा हेतु।
5–नाजिर म0दे0वि0प्रा0 को इस आशय से प्रेषित कि व दैनिक समाचार पत्र राजकीय संस्करण में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रति इस अनुभाग को उपलब्ध करायेंगें।
6–आई0टी0अनुभाग को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति को प्राधिकरण की बेबसाईट पर अप लोड करने का कष्ट करें।
7–प्राधिकरण बोर्ड पर चस्पा हेतु।
8–संबंधित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु।

उधान अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून